



F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1030 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 1030

विषय/Sub: सीलिंग रिंग्स - पाँच टाइप
Sealing Rings - Five Types

यह घोषित किया जाता है कि स्वदेशी वाइटन बेस रबड़ काम्पाउंड बीपी-वी-50 (टीए सं. 859) से निर्मित मेसर्स एच ए एल, लखनऊ द्वारा अभिकल्पित एवं मेसर्स बी.पी.इंजिनर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, जी-6, मुरली भवन, 10-ए अशोक मार्ग, लखनऊ-226 001, द्वारा विकसित तथा उत्पादित "सीलिंग रिंग्स - पाँच टाइप" अनुलग्नक 'ए' में दिए गए पार्ट संख्याओं के अनुसार संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1030, दिनांक 31 मार्च 2004 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1030 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1030/1आर, दिनांक 29 मई 2009 द्वारा नवीकरण किया गया था जो कि 30 जून 2014 तक वैध था।

This is to state that the "Sealing Rings - 5 Types" made out of indigenous Viton based rubber compound BP-V-50 (TA No. 859) bearing part Nos as per Annexure - I designed by M/s. HAL, Lucknow, Developed and Manufactured by M/s. B. P Engineers (Pvt) Ltd, G-6, Murli Bhawan, 10-A Ashok Marg, Lucknow - 226 001, was issued with Type Approval No. 1030 vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1030, Dated: 31st March 2004 and was subsequently renewed vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1030/1R, Dated: 29th May 2009 which was valid upto 30th June 2014.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2016 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2020 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए.(लखनऊ), द्वारा एच ए एल लखनऊ प्रभाग, बाराबंकी रोड, लखनऊ - 226 016 से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01st January 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid upto 31st December 2020 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), C/o. HAL Lucknow Division, Barabanki Road, Lucknow - 226 016, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval letter remain unaltered.

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1030/2R

दिनांक/Date : 11 January 2016

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

P. Jayapal

पी जयपाल / P.JAYAPAL

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)